

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 13-10-2026

विषय सूची

भारत को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता

भारत के कॉफी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मशीनीकरण

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

पीएम गतिशक्ति के पाँच वर्ष

बीमा सुधार: संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता

संक्षिप्त समाचार

गरबा नृत्य

राष्ट्रपति द्वारा छह राज्यों के राज्यपाल नियुक्त

लक्षद्वीप पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला केंद्रशासित प्रदेश बना

जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

आईएनएस मंगरोल

सारस क्रेन

भारत को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता

संदर्भ

- वर्ष 2050 तक भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर 34.7 करोड़ होने का अनुमान है। यह एक सुदृढ़ देखभाल व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

परिचय

- नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की अनुमानित संख्या लगभग 14.9 करोड़ थी, जिसके वर्ष 2050 तक बढ़कर 34.7 करोड़ होने का अनुमान है। यह कुल जनसंख्या का लगभग 20.8% होगा।
- यदि भारत अभी से उचित योजना नहीं बनाता है, तो वृद्धजन देखभाल व्यवस्था एक गंभीर चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुँच सकती है।

भारत की वृद्ध होती जनसंख्या से संबंधित आँकड़े

- राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या पूर्वानुमान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या वर्ष 2011 के लगभग 10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2036 तक 23 करोड़ होने का अनुमान है।
 - कुल जनसंख्या में इस आयु वर्ग की हिस्सेदारी 8.4% से बढ़कर 14.9% होने का अनुमान है।
- केरल में वृद्धजन जनसंख्या वर्ष 2011 के 13% से बढ़कर वर्ष 2036 तक 23% होने की संभावना है। इससे केरल सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला राज्य बन सकता है।
- इसके विपरीत, अनेक उत्तरी और पूर्वी राज्यों में वर्तमान में वृद्धजनों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उनकी संख्या तीव्रता से बढ़ रही है।

वृद्धजनों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ:** मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों से जुड़ा सामाजिक कलंक।
 - दिव्यांगता के मामलों में वृद्धि।
 - वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त

आधारभूत सुविधाओं का अभाव।

- चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता।
- आर्थिक चुनौतियाँ:** सामाजिक सुरक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था।
 - जीवनयापन एवं चिकित्सा व्यय में वृद्धि।
 - सीमित वित्तीय संसाधन।
- सामाजिक चुनौतियाँ:** पारिवारिक सहायता व्यवस्था का कमजोर होना।
 - सामाजिक अलगाव एवं उपेक्षा।
 - साथ और भावनात्मक सहयोग का अभाव।
- डिजिटल विभाजन:** प्रौद्योगिकी अपनाने में कठिनाइयाँ।
 - प्रशिक्षण तथा सुगम उपकरणों की उपलब्धता का अभाव।
- आधारभूत संरचना संबंधी चुनौतियाँ:** वृद्धजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं एवं जागरूकता का अभाव।
 - आपातकालीन सहायता व्यवस्था में वृद्धजनों को संवेदनशील वर्ग के रूप में पर्याप्त प्राथमिकता न मिलना।
 - भारत में सार्वजनिक स्थान और परिवहन व्यवस्था अत्यंत सीमा तक वृद्धजन-अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि अनेक स्थानों पर ढलानयुक्त मार्ग, सहारा देने वाली रेलिंग और सुगम शौचालय उपलब्ध नहीं हैं।

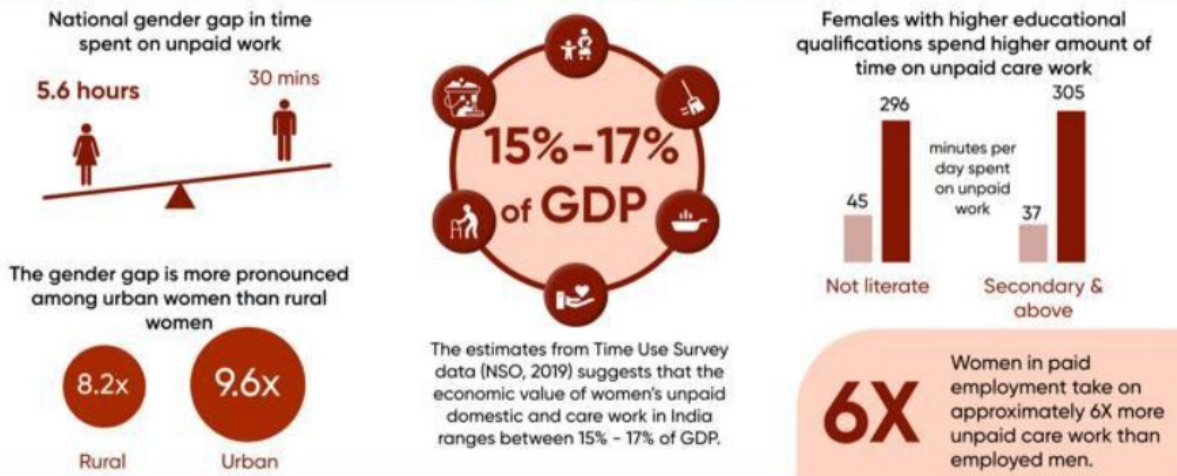
देखभाल कार्य क्या है?

- देखभाल कार्य मुख्यतः दो परस्पर संबंधित गतिविधियों से मिलकर बनता है:
 - प्रत्यक्ष देखभाल कार्य:** इसमें व्यक्तिगत एवं पारस्परिक संबंधों पर आधारित गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे शिशु को भोजन कराना।
 - अप्रत्यक्ष देखभाल कार्य:** इसमें भोजन पकाना, सफाई करना और घरेलू व्यवस्था बनाए रखना जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- अवैतनिक देखभाल एवं घरेलू कार्य:** बीमार जीवनसाथी की देखभाल करना या परिवार के किसी सदस्य के लिए भोजन पकाना जैसे कार्य, जिनके बदले कोई मौद्रिक पारिश्रमिक नहीं मिलता।
- वैतनिक देखभाल कार्य:** घरेलू कामगारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे कार्य, जिनके बदले देखभाल कर्मियों को किसी न किसी रूप में पारिश्रमिक मिलता है।

Formulating a Care Economy Strategy for India

In support of the Government of India

R A T I O N A L E



- **भविष्य के अनुमान:** अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साक्ष्यों के अनुसार, देखभाल सेवाओं के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 47.5 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है।
 - भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश से लगभग 1.1 करोड़ रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से लगभग 70% रोजगार महिलाओं को मिलने की संभावना है।

औपचारिक वृद्धजन देखभाल व्यवस्था का महत्व

- **वृद्ध होती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति:** भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि के कारण वृद्धजन देखभाल की माँग बढ़ेगी। इसके लिए व्यवस्थित एवं सुदृढ़ देखभाल व्यवस्था आवश्यक है।
- **अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता:** औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से परिवार के ऐसे सदस्य, जो अनौपचारिक रूप से देखभाल करते हैं, मान्यता प्राप्त एवं कुशल देखभाल पेशेवरों के रूप में विकसित हो सकते हैं।
- **रोजगार सृजन:** एक सुव्यवस्थित देखभाल अर्थव्यवस्था विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकती है और स्वास्थ्य सेवाओं की सहायक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है।
- **देखभाल की गुणवत्ता में सुधार:** आपातकालीन सहायता, औषधि प्रबंधन, वृद्धजन देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण से वृद्धजनों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

देखभाल अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख चुनौतियाँ

- **लैंगिक असमानता:** महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू कार्यों और देखभाल संबंधी गतिविधियों पर अधिक समय

व्यतीत करती हैं। इससे उनके रोजगार के अवसर एवं आर्थिक स्वतंत्रता सीमित होते हैं।

- **प्रशिक्षित देखभाल कर्मियों की कमी:** राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे के अंतर्गत 1.5 लाख देखभाल कर्मियों को प्रशिक्षित करने की प्रस्तावित योजना, वर्तमान एवं भविष्य की देखभाल संबंधी आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है।
- **प्रशिक्षण का सीमित विस्तार:** केरल की के-4 केयर योजना और आशा कार्यकर्ताओं के लिए वृद्धजन देखभाल प्रशिक्षण जैसी पहलों का अभी तक व्यापक स्तर पर विस्तार नहीं हो पाया है।
- **मानकीकरण का अभाव:** प्रमाणन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पेशेवर मान्यता प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित राष्ट्रीय ढाँचे का अभाव इस क्षेत्र के विस्तार को सीमित करता है।
- **जटिल देखभाल संबंधी आवश्यकताएँ:** अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे रोगों में संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट, व्यवहार प्रबंधन तथा भावनात्मक सहयोग से संबंधित विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।

सरकारी पहलें

- **केंद्रीय बजट 2026-27:** राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे (NSQF) के अंतर्गत 1.5 लाख देखभाल कर्मियों को प्रशिक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
- **कुटुंबश्री की के-4 केयर योजना:** यह केरल आधारित कार्यक्रम है।
 - इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वृद्धजन देखभाल, रोगी देखभाल तथा दिव्यांगजन देखभाल के लिए प्रमाणित कार्यकारी कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।

- **आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए वृद्धजन देखभाल संबंधी प्रशिक्षण पुस्तिका विकसित की है।
 - प्रशिक्षण आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSRc):** इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत समितियों के माध्यम से विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों, जिनमें राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन शामिल हैं, को अनुदान-सहायता प्रदान की जाती है।
- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्ययोजना (SAPSRc):** प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी राज्य कार्ययोजना तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।
 - इस योजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2019-20 से किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY):** इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले तथा ऐसे परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक उपकरण और सहायक जीवन-यापन उपकरण उपलब्ध कराना है, जिनकी मासिक पारिवारिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं है।
- **एल्डरलाइन:** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेलपलाइन संख्या 14567 है।
 - इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अधिनियमों, योजनाओं और केंद्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।
 - यह देशभर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच भी प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद की स्थापना:** नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद के माध्यम से भारत में निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं:
 - प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण।
 - देखभाल की गुणवत्ता के मानदंड निर्धारित करना।
 - देखभाल कर्मियों के प्रमाणन की निगरानी करना।
 - राष्ट्रीय देखभालकर्ता पोर्टल विकसित करना।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** पारिवारिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पुरुषों की देखभाल संबंधी गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि देखभाल का दायित्व अधिक समान रूप से साझा हो सके।
- **विशिष्ट देखभाल सेवाओं का समावेश:** राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में वृद्धावस्था संबंधी मानसिक स्वास्थ्य, मनोभ्रंश की देखभाल, आपातकालीन सहायता तथा व्यवहार प्रबंधन को शामिल किया जाना चाहिए। इससे जटिल स्वास्थ्य आवश्यकताओं वाले वृद्धजनों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराई जा सकेगी।

स्रोत: TH

भारत के कॉफी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मशीनीकरण

संदर्भ

- भारतीय कॉफी बोर्ड ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि उपकरणों एवं कॉफी की कटाई संबंधी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, आईआईटी धारवाड़ तथा कॉफी उत्पादक संघों के साथ सहयोगात्मक पहल का प्रस्ताव दिया है।

कॉफी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मशीनीकरण

- **अनुकूलित कटाई के प्रारूप:** भारतीय कॉफी बोर्ड, भारतीय कॉफी बागानों की परिस्थितियों के अनुकूल कटाई की मशीनें विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग कर रहा है।
- **कीट एवं रोगों की पहचान:** प्रिसीजन ग्री के ईक्रॉप जैसे उपकरण कॉफी के खेतों की निगरानी में सहायता प्रदान करते हैं।
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित छवि पहचान तथा ड्रोन पर लगे कैमरे कीटों के प्रकोप और फसल संबंधी रोगों के प्रारंभिक दृश्य संकेतों की पहचान करने में सहायक हो सकते हैं। इससे समय पर आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं।

आगे की राह

- **अनौपचारिक देखभालकर्ताओं को मान्यता एवं कौशल प्रशिक्षण:** वर्तमान में परिवार के सदस्यों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ प्रशिक्षण, प्रमाणन और औपचारिक रोजगार प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- **प्रशिक्षण नेटवर्क का विस्तार:** के-4 केयर और आशा कार्यकर्ताओं पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित देखभाल कर्मियों को अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाकर प्रशिक्षण की पहुँच बढ़ाई जा सकती है।

- **परिशुद्ध कृषि:** ड्रोन आधारित चित्रण तथा मशीन अधिगम प्रारूपों के माध्यम से फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी, बागानों की परिस्थितियों का मानचित्रण तथा लक्षित उपचार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।
- **सिंचाई प्रबंधन:** मृदा की आर्द्रता मापने वाले संवेदकों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिंचाई कलन-विधियों के संयुक्त उपयोग से फसल की आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जल की आपूर्ति समायोजित की जा सकती है।

भारत का कॉफी क्षेत्र

- भारत कॉफी का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
- भारतीय कॉफी के पाँच प्रमुख निर्यात गंतव्य निम्नलिखित हैं:
 - ♦ इटली — 18.09 प्रतिशत
 - ♦ जर्मनी — 11.01 प्रतिशत
 - ♦ बेल्जियम — 7.47 प्रतिशत
 - ♦ रूसी संघ — 5.28 प्रतिशत
 - ♦ संयुक्त अरब अमीरात — 5.09 प्रतिशत

Key Takeaways

- India ranks **7th** in global coffee production, contributing **3.5%**; Annual output is **3.6 lakh tonnes** of which **70%** exported to **128 countries**.
- **Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu** account for **96%** of India's coffee production, with Karnataka leading at an estimated **2,80,275 MT (2025–26)**.
- Coffee exports reached a record **USD 1.8 billion** in **FY 2024–25**, marking a **40%** increase from the previous year; India positioned as the **5th-largest** coffee exporter among the Coffee producing countries.
- Trade pacts like **India–UK CETA** and **India–EFTA TEPA** enable duty-free access to the UK, Switzerland, Norway, and Iceland.
- The GST reduction from **18% to 5%** on instant coffee is expected to lower prices by **11–12%**, boosting domestic demand and expanding market reach.

कॉफी उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ

- **जलवायु:** कॉफी उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगती है। इसके लिए हल्की सर्दियों वाली गर्म एवं आर्द्र जलवायु आवश्यक है। पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए छाया महत्वपूर्ण है, इसलिए कॉफी की खेती प्रायः वृक्षों के आवरण के नीचे की जाती है।
- **मृदा:** इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली, उपजाऊ तथा ह्यूमस एवं जैविक पदार्थों से समृद्ध मृदा आवश्यक है। मृदा का अम्लीय मान (पीएच) 6.0–6.5 के बीच होना चाहिए।
- **तापमान:** इसके लिए 15°C से 28°C के बीच वार्षिक तापमान आदर्श माना जाता है। पाला कॉफी के पौधों के लिए हानिकारक होता है। अत्यधिक गर्मी अथवा शुष्क परिस्थितियाँ भी उपज को कम करती हैं।
- **वर्षण एवं स्थलाकृति:** कॉफी समुद्र तल से 600–1,600 मीटर की ऊँचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती है। ढलानदार भूभाग उचित जल निकासी सुनिश्चित करता है तथा खेतों में जलभराव को रोकता है।

कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य

- **कर्नाटक:** भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य; देश के कुल कॉफी उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत योगदान।
 - ♦ केरल
 - ♦ तमिलनाडु
 - ♦ **अन्य उभरते उत्पादक क्षेत्र:** आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्य, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय।

भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त भारतीय कॉफी की किस्में

- **कूर्ग अरेबिका कॉफी:** कर्नाटक के कोडगु जिले में उगाई जाती है।
- **वायनाड रोबस्टा कॉफी:** केरल के वायनाड जिले में उत्पादित होती है।
- **चिकमगलूर अरेबिका कॉफी:** कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में उत्पादित होती है।

- **बाबाबुदनगिरी अरेबिका कॉफी:** कर्नाटक के चिकमगलूर क्षेत्र में उगाई जाती है तथा इसमें चॉकलेट जैसा विशिष्ट स्वाद पाया जाता है।
- **मानसूनी मालाबार रोबस्टा कॉफी:** केरल की विशिष्ट कॉफी, जो अपने अनूठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है।
- **अराकू कॉफी:** आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले तथा ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में समुद्र तल से 900–1,100 मीटर की ऊँचाई पर उगाई जाती है।

भारतीय कॉफी बोर्ड

- **स्थापना:** कॉफी अधिनियम, 1942 (अधिनियम संख्या VII) के अंतर्गत स्थापित।
- **प्रशासनिक मंत्रालय:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
- **मुख्यालय:** बेंगलुरु।

स्रोत: TH

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

संदर्भ

- रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी ने वर्ष 2026 के लिए अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार प्रदान किया है।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार एवं इसके प्राप्तकर्ता

- अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करता है।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना की राशि प्रदान की जाती है, जिसे रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है।
- यह पुरस्कार समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण के सूक्ष्म आर्थिक आधारों पर उनके कार्य को मान्यता प्रदान करता है।

पुरस्कार विजेताओं के प्रमुख योगदान

- **रॉबर्ट ई. हॉल:** घरेलू उपभोग को समझना:
 - उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवारों का उपभोग मुख्यतः उनकी वर्तमान प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है।
 - उनके शोध ने विभिन्न परिवारों के बीच उपभोग संबंधी अंतर को रेखांकित किया। विशेष रूप से, ऐसे परिवार जो अपनी वर्तमान आय के आधार पर ही दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनका उपभोग वर्तमान आय से सीमित रहता है।

माइकल वुडफोर्ड: कंपनियों के व्यवहार एवं मूल्य निर्धारण को समझना:

- उन्होंने कंपनियों के मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों तथा समग्र मुद्रास्फीति में भविष्य की अपेक्षाओं के महत्व को स्थापित किया।
- उन्होंने मूल्य निर्धारण संबंधी व्यवहार को उपभोग एवं माँग के सिद्धांतों के साथ समन्वित किया।
- उन्होंने रेखांकित किया कि पारदर्शी एवं विश्वसनीय मौद्रिक नीति, जनसामान्य की अपेक्षाओं को प्रभावित करके आर्थिक परिणामों को दिशा प्रदान करती है।

समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण क्या है?

- समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण से आशय सरकारों एवं केंद्रीय बैंकों द्वारा आर्थिक विकास, उत्पादन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों से है।
- **आर्थिक मंदी के दौरान:** ब्याज दरों में कमी, करों में राहत तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के माध्यम से माँग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्रता के दौरान:** ब्याज दरों में वृद्धि तथा कठोर राजकोषीय नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।

स्थिरीकरण सिद्धांत का विकास

- **केन्सवादी दृष्टिकोण:** महामंदी के बाद जॉन मेनार्ड केन्स ने माँग, उत्पादन एवं रोजगार को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया।
- **नए दृष्टिकोण की आवश्यकता:** 1970 के दशक में मुद्रास्फीतिजनित मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी भी विद्यमान थी। तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि ने पारंपरिक नीतिगत उपायों की सीमाओं को उजागर किया।
- **हॉल एवं वुडफोर्ड का योगदान:** उन्होंने परिवारों के वास्तविक व्यवहार, कंपनियों के मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों तथा भविष्य की अपेक्षाओं को समष्टि आर्थिक विश्लेषण में सम्मिलित करके स्थिरीकरण सिद्धांत को अधिक सुदृढ़ बनाया।

आर्थिक नीति के लिए महत्त्व

- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** समष्टि आर्थिक परिणामों को व्यक्तियों के आर्थिक निर्णयों से जोड़ता है।

- **अपेक्षाओं का प्रबंधन:** स्पष्ट करता है कि विश्वसनीय नीतिगत घोषणाएँ वर्तमान उपभोग, निवेश एवं कीमतों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।
- **नीतिगत प्रभावों का बेहतर संप्रेषण:** नीति निर्माताओं को ब्याज दरों में परिवर्तन तथा राजकोषीय हस्तक्षेपों के संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है।
- **नीतिगत पारदर्शिता में वृद्धि:** स्थिरीकरण संबंधी उपायों की प्रभावशीलता बढ़ाने तथा जनता का विश्वास सुदृढ़ करने में सहायक है।

भारत के लिए प्रासंगिकता

- **मुद्रास्फीति का प्रबंधन:** भारतीय रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति निर्धारित करते समय आपूर्ति संबंधी आघातों, परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं तथा कंपनियों के मूल्य निर्धारण संबंधी व्यवहार पर विचार करना चाहिए।
- **माँग का पुनरुद्धार:** आर्थिक मंदी के दौरान करों में कटौती तथा लक्षित सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उपभोग एवं निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
- **नीतिगत संचार:** भारतीय रिज़र्व बैंक के स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन से ऋण लेने, व्यय करने तथा निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।
- **समावेशी नीति निर्माण:** परिवार-स्तरीय आँकड़े कमजोर एवं संपन्न परिवारों के उपभोग संबंधी व्यवहार में अंतर को समझने में सहायता कर सकते हैं।

स्रोत: IE

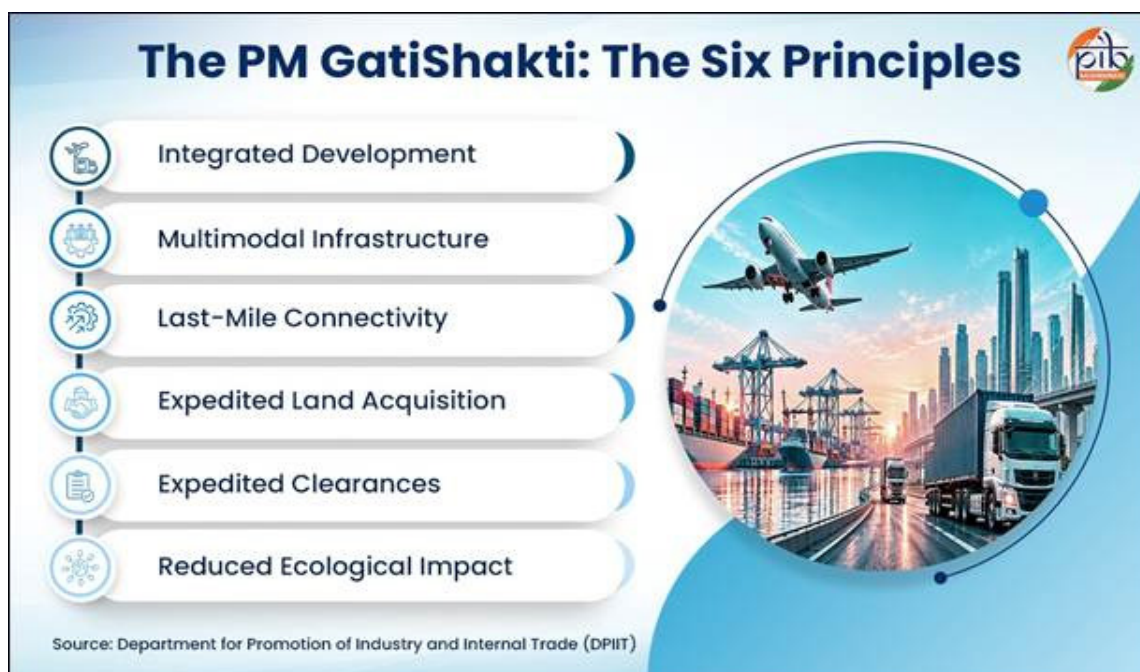
पीएम गतिशक्ति के पाँच वर्ष

संदर्भ

- प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय बृहत् योजना (PMGS-NMP) ने पाँच वर्ष पूरे कर लिए हैं।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय बृहत् योजना (PMGS-NMP)

- **शुभारंभ:** इसे 13 अक्टूबर, 2021 को देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बहु-माध्यमीय संपर्क अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा संपूर्ण भारत में रसद दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की अवसंरचना संबंधी योजनाओं को समेकित किया गया है। इनमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क बंदरगाह एवं स्थल बंदरगाह तथा उड़ान योजना शामिल हैं।
 - ♦ यह किसी एक मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा समन्वित की जाती है।
- **उद्देश्य:** परिवहन के विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध और कुशल संपर्क उपलब्ध कराना, जिससे अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा में सुधार हो तथा यात्रा समय कम किया जा सके।



प्रधानमंत्री गतिशक्ति की प्रमुख विशेषताएँ

- **अवसंरचना के सात प्रमुख क्षेत्र:** सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन तथा रसद अवसंरचना इस योजना के प्रमुख आधार हैं।
- **समग्र सरकारी नियोजन:** राष्ट्रीय बृहत् योजना में 58 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों तथा सभी 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों की अवसंरचना परियोजनाओं का समन्वित नियोजन एवं मूल्यांकन संभव होता है।
- **एकीकृत डिजिटल नियोजन:** राष्ट्रीय बृहत् योजना अवसंरचना संबंधी आँकड़ों एवं भू-स्थानिक सूचनाओं को एक साझा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित मंच पर एकत्रित करती है, जिससे स्थानिक नियोजन एवं निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- **व्यापक आँकड़ा उपलब्धता:** प्रधानमंत्री गतिशक्ति सार्वजनिक मंच पर 230 स्वीकृत आँकड़ा-संग्रह उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से स्थल की उपयुक्तता का विश्लेषण, संपर्क मानचित्रण, मार्ग निर्धारण तथा नियामकीय अनुपालन की जाँच की जा सकती है।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति का संस्थागत ढाँचा

- **सशक्त सचिव समूह (EGoS):** इसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव करते हैं। यह समूह प्रधानमंत्री गतिशक्ति के क्रियान्वयन की निगरानी करता है तथा बृहत् योजना में आवश्यक परिवर्तनों की समीक्षा, विचार एवं स्वीकृति प्रदान करता है।
- **नेटवर्क नियोजन समूह (NPG):** इसमें अवसंरचना संबंधी मंत्रालयों एवं विभागों के नेटवर्क नियोजन प्रभागों के प्रमुख शामिल होते हैं। यह समूह अवसंरचना प्रस्तावों की जाँच करता है तथा एकीकृत नियोजन, समन्वय एवं संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करता है। साथ ही, परियोजना नियोजन के लिए राष्ट्रीय बृहत् योजना के अंतर्गत होने वाले विकास की निगरानी भी करता है।
- **तकनीकी सहायता इकाई (TSU):** इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एवं विषय-विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। यह इकाई प्रधानमंत्री गतिशक्ति के सचिवालय के रूप में रसद प्रभाग की भूमिका के निर्वहन में सहयोग करती है।

गतिशक्ति विश्वविद्यालय (GSV)

- यह परिवहन एवं रसद क्षेत्रों पर विशेष रूप से केंद्रित अपनी तरह का प्रथम विश्वविद्यालय है।
- वर्ष 2022 में स्थापित यह विश्वविद्यालय परिवहन से संबंधित विभिन्न विषयों में शिक्षा, कार्यकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को एकीकृत करता है।

- गतिशक्ति विश्वविद्यालय विशेषीकृत शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय बृहत् योजना तथा राष्ट्रीय रसद नीति, 2022 को समर्थन प्रदान करता है।
- जुलाई 2026 तक विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2.4 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया था।

प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **विभागों के बीच समन्वय:** विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की प्राथमिकताएँ अलग-अलग हो सकती हैं, जिससे परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में विलंब होता है।
- **आँकड़ों की गुणवत्ता एवं एकीकरण:** गलत, पुराने अथवा परस्पर असंगत आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित नियोजन एवं निर्णय प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।
- **भूमि अधिग्रहण:** भूमि विवाद, पुनर्वास संबंधी आवश्यकताएँ तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियों में विलंब के कारण एकीकृत नियोजन के बावजूद अवसंरचना परियोजनाएँ प्रभावित होती हैं।
- **निजी क्षेत्र की सीमित पहुँच:** संवेदनशील आँकड़ों तक पहुँच पर प्रतिबंधों के कारण निजी निवेशकों को परियोजना नियोजन एवं स्थल चयन के लिए आवश्यक जानकारी सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है।

निष्कर्ष

- प्रधानमंत्री गतिशक्ति भारत में एकीकृत एवं आँकड़ा-आधारित अवसंरचना नियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। रसद दक्षता में सुधार करने तथा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना, क्रियान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करना और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

स्रोत: PIB

बीमा सुधार: संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक परामर्श-पत्र में बीमा वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रमुख बिंदु

- **उद्देश्य:** प्रस्तावित विनियमों का उद्देश्य ग्राहक-केंद्रित, प्रतिस्पर्धात्मक, कुशल एवं पारदर्शी बीमा वितरण व्यवस्था स्थापित करना है। साथ ही, इसका लक्ष्य बीमाधारकों, बीमा

कंपनियों तथा वितरकों के लिए बेहतर एवं सतत परिणाम सुनिश्चित करना है।

- **प्रबंधन व्यय (EoM) का पुनर्निर्धारण:** प्रस्तावों में चरणबद्ध तरीके से प्रबंधन व्यय की सीमाओं को कम करना शामिल है।
 - प्रबंधन व्यय से आशय बीमा कंपनी द्वारा अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए किए जाने वाले कुल परिचालन, प्रशासनिक एवं वितरण संबंधी व्यय से है।
- **जीवन बीमा कंपनियाँ:** प्रबंधन व्यय की सीमा को कंपनी-स्तर पर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (GDPI) से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत दो वर्षों में सीमा 15 प्रतिशत तथा पाँच वर्षों में 12.5 प्रतिशत निर्धारित करने का प्रस्ताव है।
- **सामान्य बीमा कंपनियाँ:** सकल लिखित प्रीमियम (GWP) के स्थान पर घरेलू सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (GDPI) को आधार बनाने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत पाँच वर्षों में प्रबंधन व्यय की सीमा को सकल लिखित प्रीमियम के 30 प्रतिशत से घटाकर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय के 20 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है।
- **अन्य सुधार:** प्रस्तावों में कमीशन संबंधी मानदंडों में संशोधन, प्रवेश एवं पूँजी संबंधी आवश्यकताओं में छूट, मध्यस्थों के लिए गैर-बीमा व्यवसाय के अवसरों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना तथा विनियामकीय प्रावधानों के अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना शामिल है।
- **सरल वितरण संरचना:** वर्तमान व्यवस्थाओं को पुनर्गठित करके तीन श्रेणियों में बाँटने का प्रस्ताव है:
 - बीमा वितरण संस्थाएँ (IDEs)
 - बीमा वितरण व्यक्ति (IDPs)
 - बाजार अवसंरचना संस्थाएँ (MIIs)

बीमा उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताएँ

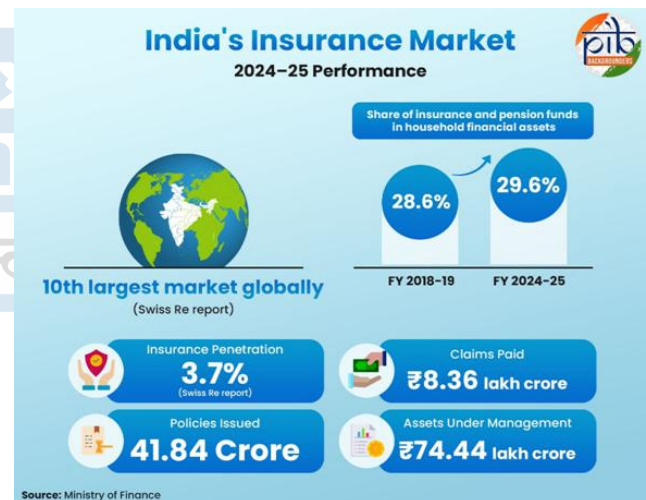
- **बीमा कंपनियाँ:** बीमाकर्ताओं ने प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण अपने परिचालन एवं व्यावसायिक प्रारूपों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- **रोजगार एवं प्रतिस्पर्धा:** भारतीय बीमा दलाल संघ (IBAI) ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित सुधारों से रोजगार में कमी, उद्योग की वृद्धि की गति धीमी होने तथा प्रतिस्पर्धा घटने की आशंका है।
- **प्रभाव आकलन की माँग:** भारतीय बीमा दलाल संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि बीमा कमीशन अथवा व्यय सीमा संबंधी किसी भी विनियम को अधिसूचित करने से पहले उसका प्रभाव आकलन प्रकाशित किया जाए। इसमें बीमाधारकों,

रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा विदेशी निवेश पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन शामिल होना चाहिए।

- संघ ने यह भी तर्क दिया है कि वर्ष 2023 में लागू वर्तमान व्यवस्था को वर्ष 2028 में निर्धारित समीक्षा तक जारी रखा जाना चाहिए।

भारतीय बीमा क्षेत्र (वित्तीय वर्ष 2023-24)

- **बाजार का प्रदर्शन:** वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल बीमा प्रीमियम में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹11.2 लाख करोड़ हो गया। यह वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक अस्थिरता के बावजूद क्षेत्र में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।
- **बीमा की पहुँच:** कुल बीमा पहुँच वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4.0 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत रह गई।
 - जीवन बीमा की पहुँच 3.0 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई।
 - गैर-जीवन बीमा की पहुँच 1.0 प्रतिशत पर स्थिर रही।



- **भविष्य की संभावनाएँ:** स्विस् री संस्थान के अनुसार, भारत के बीमा क्षेत्र में वर्ष 2024 से 2028 के दौरान 11.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके आधार पर आगामी पाँच वर्षों में भारत के जी-20 देशों में सबसे तीव्रता से बढ़ने वाला बीमा बाजार बनने की संभावना है।
 - विस्तारित मध्यम वर्ग, तकनीकी प्रगति तथा सहायक विनियामकीय उपाय इस वृद्धि को गति प्रदान कर सकते हैं।
- **बीमा कंपनियाँ:** वर्तमान में देश में 24 जीवन बीमा कंपनियाँ तथा 34 सामान्य बीमा कंपनियाँ हैं।
 - जीवन बीमा क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
 - इसके अतिरिक्त, भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC Re) देश का एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

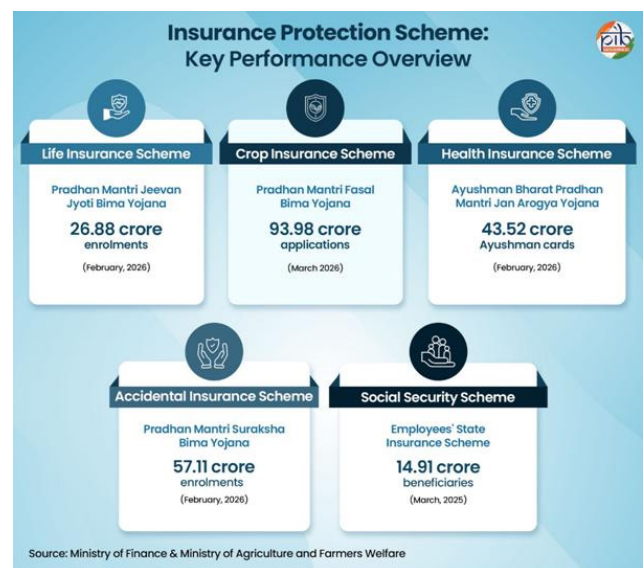
- **गठन:** मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद बीमा उद्योग के विनियमन एवं विकास के लिए वर्ष 1999 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया।
- **वैधानिक दर्जा:** वर्ष 2000 में इसे वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
- **विनियामकीय शक्तियाँ:** इसे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114A के अंतर्गत विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** बीमाधारकों के हितों की रक्षा करना तथा बीमा उद्योग को विनियमित करना।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।
- **विनियमन का दायरा:** इसने बीमा व्यवसाय संचालित करने वाली कंपनियों के पंजीकरण से लेकर बीमाधारकों के हितों की रक्षा तक विभिन्न विषयों पर विनियम बनाए हैं।

बीमा क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **बीमा की कम पहुँच:** भारत में बीमा की कुल पहुँच 3.7 प्रतिशत है, जो 7 प्रतिशत के वैश्विक औसत से कम है। यह बीमा कवरेज में उल्लेखनीय अंतर को दर्शाता है, साथ ही बीमा कंपनियों के लिए अपनी पहुँच बढ़ाने के अवसर भी प्रस्तुत करता है।
- **दावों के निपटान से संबंधित समस्याएँ:** बीमा दावों के निपटान में देरी, दावों को अस्वीकार करना तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी ग्राहकों में असंतोष उत्पन्न करती है।
- **वितरण संबंधी सीमाएँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाओं की पहुँच सीमित है। बीमा वितरण मुख्यतः शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है और इसके लिए एजेंटों पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है।
- **वहनीयता:** अधिक प्रीमियम तथा कुछ बीमा उत्पादों का उनकी वास्तविक लागत से कम मूल्य निर्धारण निम्न आय वर्ग के लोगों की पहुँच को प्रभावित करता है।
- **धोखाधड़ी एवं अनुचित बिक्री:** फर्जी बीमा दावे तथा एजेंटों द्वारा अनुचित बिक्री की घटनाएँ सामान्य समस्याएँ हैं, जिनसे ग्राहकों का विश्वास कमजोर होता है।
- **बढ़ती लागत:** चिकित्सा व्यय एवं बीमा दावों की लागत में वृद्धि से बीमा उत्पादों की वहनीयता और बीमा कंपनियों की लाभप्रदता प्रभावित होती है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

- **सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025:** इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है।
- **वस्तु एवं सेवा कर से छूट:** वर्ष 2025 से सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों तथा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, जिनमें परिवार के लिए संयुक्त बीमा पॉलिसियाँ भी शामिल हैं, को पुनर्बीमा सहित वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्रदान की गई है।
- **स्थगन अवधि में कमी:** स्वास्थ्य बीमा में स्थगन अवधि वह निश्चित समयावधि है, जिसके बाद बीमा कंपनियाँ स्थापित धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर केवल जानकारी छिपाने के आधार पर दावे अस्वीकार नहीं कर सकतीं। वर्ष 2024 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इस अवधि को आठ वर्ष से घटाकर 60 महीने अर्थात् पाँच वर्ष कर दिया।
- **30 दिनों की मानकीकृत निःशुल्क समीक्षा अवधि:** प्राधिकरण ने एक वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली बीमा पॉलिसियों के लिए 30 दिनों की मानकीकृत निःशुल्क समीक्षा अवधि लागू की। इस अवधि में बीमाधारक पॉलिसी के दस्तावेजों का मूल्यांकन एवं समीक्षा कर सकता है।
- **तृतीय-पक्ष प्रशासकों (TPAs) के कार्य-निष्पादन की निगरानी:** इनकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए बीमा कंपनियाँ इनके कार्य-निष्पादन की निगरानी करती हैं, ताकि सेवाओं का कुशल एवं प्रभावी वितरण सुनिश्चित किया जा सके।



- **बीमा सुगम पहल:** इसका उद्देश्य एक साझा मंच के माध्यम से बीमा क्षेत्र के सभी हितधारकों को जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना है। यह मंच उन्नत तकनीक का उपयोग करके बीमा कंपनियों,

बीमाधारकों, मध्यस्थों, बीमा अभिलेखागारों तथा बाहरी आँकड़ा स्रोतों आदि के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।

- **बीमा वाहक:** प्रशिक्षित बीमा वाहकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक बीमा अनिवार्य करना:** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने, दक्षता बढ़ाने तथा बीमाधारकों की पहुँच में सुधार करने के लिए सभी श्रेणियों की बीमा पॉलिसियों का डिजिटलीकरण अनिवार्य किया है।
- **स्वास्थ्य बीमा में प्रतीक्षा अवधि में कमी:** प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा में प्रतीक्षा अवधि को 48 महीने से घटाकर 36 महीने कर दिया है।
 - ♦ प्रतीक्षा अवधि वह समय है, जिसके दौरान बीमाधारक बीमा पॉलिसी खरीदते समय पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बीमा लाभों का दावा करने के पात्र नहीं होते।

आगे की राह

- **छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान:** दूसरे एवं तीसरे स्तर के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, जहाँ जागरूकता एवं पहुँच सीमित है। इससे नए ग्राहक वर्गों तक पहुँचना और क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करना संभव होगा।
- **वित्तीय साक्षरता में वृद्धि:** लोगों के बीच बीमा उत्पादों की समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता एवं शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- **विनियमों का सरलीकरण:** उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विनियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि बीमा उत्पादों को शीघ्र एवं कम जटिल प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृति मिल सके।
- **दावों के निपटान में सुधार:** ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने तथा विवादों को कम करने के लिए बीमा दावों का निपटान अधिक तीव्र, पारदर्शी एवं कुशल बनाया जाना चाहिए।
- **वितरण नेटवर्क का विस्तार:** डिजिटल मंचों एवं चल दूरभाष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक बीमा सेवाएँ पहुँचाई जानी चाहिए, जहाँ इनकी उपलब्धता अपर्याप्त है।
- **स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार:** गंभीर बीमारियों, अस्पताल में भर्ती होने तथा उपचार के बाद की देखभाल को बीमा कवरेज में शामिल करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

गरबा नृत्य

संदर्भ

- नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी अंबे माँ को समर्पित पारंपरिक गरबा नृत्य खुले स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं।

गरबा के बारे में

- गरबा गुजरात का एक पारंपरिक लोकनृत्य है, जिसे नवरात्रि के नौ दिवसीय उत्सव के दौरान किया जाता है। यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।
- गरबा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के उस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गर्भ या गर्भाशय है। यह जीवन एवं सृजन का प्रतीक है। यह नृत्य उर्वरता, नारीत्व तथा मातृशक्ति के प्रति भक्ति को अभिव्यक्त करता है।
- यह दीपक अथवा देवी शक्ति की प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में किया जाता है, जो ब्रह्मांड की स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है।
- लयबद्ध संगीत, गायन एवं तालियों के साथ किया जाने वाला यह नृत्य सभी आयु वर्गों, लिंगों तथा सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोगों के लिए खुला है।
- आधुनिक गरबा पर पारंपरिक डांडिया रास का प्रभाव पड़ा है, जिसे परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता था। इस प्रभाव ने गरबा को उसका ऊर्जावान एवं समकालीन स्वरूप प्रदान किया है।
- दिसंबर 2023 में गरबा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया।
- इसके विभिन्न रूपों में माताजी गरबा, कृष्ण गरबा तथा लोक गरबा शामिल हैं।

स्रोत: IE

राष्ट्रपति द्वारा छह राज्यों के राज्यपाल नियुक्त

संदर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की है।

राज्यपाल के पद के बारे में

- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल के पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- **पात्रता:**
 - ♦ भारत का नागरिक होना चाहिए।
 - ♦ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए।

- संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए।
- **राज्यपाल की नियुक्ति:** किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **कार्यकाल:** राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।

राज्यपाल की प्रमुख भूमिकाएँ

- **कार्यपालिका संबंधी भूमिका:** राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है।
- **विधायी भूमिका:** राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र आहूत करता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। वह सत्र के प्रारंभ में विधानमंडल को संबोधित भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, उसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है।
- **न्यायिक भूमिका:** राज्यपाल कुछ मामलों में दंड को क्षमा करने, उसके निष्पादन को स्थगित करने, दंड की अवधि में राहत देने अथवा दंड में कमी करने की शक्ति रखता है। कुछ परिस्थितियों में वह दंडादेश को लघुकृत भी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी राज्यपाल की भूमिका होती है।
- **विवेकाधीन शक्तियाँ:** यदि मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल में बहुमत खो देती है या कोई दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तो राज्यपाल परिस्थितियों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने संबंधी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

स्रोत: IE

लक्षद्वीप पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला केंद्रशासित प्रदेश बना

संदर्भ

- लक्षद्वीप ने उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया है।

उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

- यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2022 से 2027 तक लागू किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना है, जिन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिल सका।

- इस योजना के पाँच प्रमुख घटक हैं:

1. आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान।
2. महत्वपूर्ण जीवन कौशल।
3. बुनियादी शिक्षा।
4. व्यावसायिक कौशल।
5. सतत शिक्षा।

- इस योजना का उद्देश्य भारत को 'जन-जन साक्षर' बनाना है। यह कर्तव्यबोध की भावना पर आधारित है तथा स्वयंसेवा के माध्यम से लागू की जा रही है।

साक्षरता के बारे में

- भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार, सात वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है, जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो।
- विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तथा सतत विकास लक्ष्य 4.6 के अनुरूप साक्षरता की अधिक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है।
 - अब साक्षरता में समझ के साथ पढ़ने, लिखने एवं गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी शामिल हैं। इस विस्तृत परिभाषा का उद्देश्य समाज में पूर्ण भागीदारी तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है।
 - किसी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश में 95 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त होने पर उसे पूर्ण साक्षर माना जाता है।

स्रोत: TH

जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं

संदर्भ

- दिल्ली पुलिस ने अधिसूचित किया है कि जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहेगा। इसके स्थान पर तीन वैकल्पिक स्थलों—रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान तथा सीबीडी मैदान—को नामित किया गया है।
- यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिश के बाद लिया गया है। नए स्थलों के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 19(1)(क):** यह वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार भी शामिल है।

- **अनुच्छेद 19(1)(ख):** यह नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

न्यायिक हस्तक्षेप

- **अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सार्वजनिक सड़कों एवं स्थानों पर अनिश्चितकाल तक नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। विरोध प्रदर्शनों एवं रैलियों के अधिकार का अन्य नागरिकों के अधिकारों के साथ संतुलन किया जाना चाहिए।
- **मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018):** सर्वोच्च न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता तथा स्थानीय निवासियों के अधिकारों और लोक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

जंतर-मंतर के बारे में

- जंतर-मंतर खगोलीय वेधशालाओं के समूह को कहा जाता है। इनका निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने समय मापने, खगोलीय पिंडों की गति का पता लगाने तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए करवाया था।
- **प्रमुख स्थान:** दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी।
- **दिल्ली का जंतर-मंतर:** इसका निर्माण वर्ष 1724 में हुआ था। यह कर्नाट प्लेस के निकट स्थित है। यहाँ सम्राट यंत्र जैसे पत्थर एवं ईंट से निर्मित खगोलीय उपकरण हैं, जिनका उपयोग समय मापने तथा खगोलीय पिंडों की गति का अवलोकन करने के लिए किया जाता है।
- **जयपुर का जंतर-मंतर:** इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।

स्रोत: TH

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

संदर्भ

- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन का एक वर्ष 11 अक्टूबर, 2026 को पूरा हो गया है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

- यह एक समन्वित पहल है, जिसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में कृषि विकास को गति प्रदान करना है।

- इस योजना के अंतर्गत कम कृषि प्रदर्शन वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। इसके लिए वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक प्रतिवर्ष ₹24,000 करोड़ व्यय करने का प्रावधान है।
- **जिलों के चयन के प्रमुख आधार:** तीन प्रमुख संकेतकों के आधार पर जिलों की पहचान की जाएगी:
 - ♦ कम कृषि उत्पादकता।
 - ♦ कम फसल सघनता।
 - ♦ कृषि ऋण वितरण का निम्न स्तर।
- **लक्षित लाभार्थी:** 1.7 करोड़ किसान।
- पारदर्शिता, सुलभता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड, किसान अनुप्रयोग तथा जिला रैंकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी।
- क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक संरचना:
 - ♦ **जिला स्तर:** जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अथवा जिला कलेक्टर करते हैं, जिला कार्ययोजना तैयार करती है तथा उसका क्रियान्वयन करती है।
 - ♦ **राज्य स्तर:** राज्य धन-धान्य कृषि योजना समिति, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, जिला कार्ययोजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी करती है।
 - ♦ **राष्ट्रीय स्तर:** इस योजना की निगरानी दो समितियों द्वारा की जाती है:
 - **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति:** इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री करते हैं।
 - **राष्ट्रीय निगरानी समिति:** इसकी अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) के सचिव करते हैं।



स्रोत: PIB

आईएनएस मंगरोल

संदर्भ

- भारतीय नौसेना ने तीसरे पनडुब्बी-रोधी युद्धक उथले जलयान 'मंगरोल' को नौसेना में शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2026 में अब तक दस जलयानों को नौसेना में शामिल किया जा चुका है, जबकि शीघ्र ही अन्य आठ जलयानों को शामिल किए जाने की संभावना है।
- वर्ष 2034 तक भारतीय नौसेना के लगभग 60 प्रतिशत प्लेटफॉर्म की औसत आयु दस वर्ष से कम होने की अपेक्षा है।

आईएनएस मंगरोल के बारे में

- **नामकरण:** इस जलयान का नाम गुजरात में स्थित तटीय नगर एवं लघु बंदरगाह 'मंगरोल' के नाम पर रखा गया है। यह क्षेत्र समुद्री मत्स्य उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है।
 - यह पूर्ववर्ती आईएनएस मंगरोल की विरासत को भी आगे बढ़ाता है। पूर्ववर्ती जलयान भारतीय नौसेना का एक बारूदी सुरंग-रोधी जलयान था, जो वर्ष 2004 तक सेवा में रहा।
- **स्वदेशी सामग्री:** इस जलयान में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
- **प्रमुख क्षमताएँ:**
 - जल के अंदर निगरानी।
 - तटीय जलक्षेत्रों में पनडुब्बी-रोधी युद्धक अभियान।
 - निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियान (LIMO)।
 - बारूदी सुरंगों से संबंधित युद्धक क्षमता।
- **प्रणोदन एवं उपकरण:** यह जलयान जल-जेट प्रणोदन प्रणाली से संचालित होता है। इसमें अत्याधुनिक टॉरपीडो, पनडुब्बी-रोधी रॉकेट तथा उन्नत रडार एवं सोनार प्रणालियाँ लगी हैं।
 - मंगरोल को नौसेना में शामिल करना भारत की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण यात्रा में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

स्रोत: AIR

सारस क्रेन**संदर्भ**

- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने सारस क्रेन की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण की घोषणा की है।

सारस क्रेन के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** एंटीगोन एंटीगोन।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - यह विश्व का सबसे ऊँचा उड़ने वाला पक्षी है।
 - इसकी ऊँचाई लगभग 1.5 मीटर होती है।
 - यह भारत में पाई जाने वाली एकमात्र स्थायी प्रजनन करने वाली सारस प्रजाति है।
- **आवास:** यह आर्द्रभूमियों, दलदली क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्रों में निवास करता है। यह प्रायः मानव बस्तियों के निकट भी पाया जाता है।
- **वितरण:** यह भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में इसकी प्रमुख आबादी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में पाई जाती है।
 - **संरक्षण की स्थिति:**
 - आईयूसीएन की लाल सूची: संकट-सुभेद्य।
 - वन्यजीव एवं वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES): परिशिष्ट III।
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची II।
- **सांस्कृतिक महत्व:** भारतीय संस्कृति में सारस क्रेन को आजीवन समर्पण तथा वैवाहिक निष्ठा के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है।

स्रोत: DTE

